FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

APP-A
Crim-I

अज अदालत......उपखण्ड अधिकारी......मुकाम......कोटा......
......संतोष देवी......बनाम......सरकार......
किस्म मुकदमा......136 L.R......नं. ......369......सन्......2023......

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
20/5/26	पत्रावली आदेश वास्ते पेश हुई। प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थीया के पिता कालूलाल के खाते एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजी खाता संख्या 192 पुराना 160 की खसरा नं0 49 रकबा 2.32 है0 व खसरा नं0 50 रकबा 1.94 है0 कुल किता 2 रकबा 4.26 है0 वाके ग्राम उम्मेदपुरा प0ह0 काल्याखेडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा में मेरा 1/2 हक हिस्सा एवं ग्राम उम्मेदपुरा त0ह0 काल्याखेडी तहसील लाडपुरा के खाता संख्या 160 पुराना 11 के खसरा नं0 84 रकबा 0.41 है0 खसरा नं0 201 रकबा 0.74 है0 खसरा नं0 225/474 रकबा 0.07 है0 खसरा नं0 230 रकबा 0.25 कुल किता 4 रकबा 1.47 है0 स्थित है। उपरोक्त वर्णित संयुक्त खाते की आराजी में प्रार्थीया का 1/2 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड चला आ रहा है। उपरोक्त वर्णित आराजी में मुझ प्रार्थीया का नाम शान्ति बाई दर्ज रिकॉर्ड लिख दिया है जो गलत है तथा उक्त नाम मृतक कालू के विरासत का नामान्तरण संख्या 16 दिनांक 26.03.1989 को कोरम ग्राम पंचायत काल्याखेडी ने स्वीकृत हुआ व सजरे में पूर्ण जानकारी के अभाव में गलत नाम दर्ज कर दिया गया। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित खातेदार शान्तीबाई पुत्री के बजाय दुरूस्तीकरण कर संतोष देवी पुत्री कालू किया जाने हेतु आदेश प्रदान करावे। प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र के सम्बन्ध में तहसीलदार लाडपुरा से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसमें तहसीलदार लाडपुरा द्वारा वर्णन किया है कि मुताबिक जानकारी ग्रामवासियान द्वारा बताया गया गया कि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज सहखातेदार शांति बाई का नाम पहचान के वैध दस्तावेजों में संतोष देवी दर्ज है। उक्त भूमि प्रार्थीया के विरासत के नामा0 से दर्ज हुई है। राजस्व रिकॉर्ड एवं पहचान के वैध दस्तावेजों में प्रार्थीया का नाम अलग अलग दर्ज होने से उसे मुआवजा राशि एवं अन्य सरकारी सहायता से वंचित होना पडता है अतः प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकॉर्ड में शांति बाई उर्फ संतोष देवी पुत्री कालु दर्ज किया जाना अपेक्षित है। बाद तहसील रिपोर्ट दौरानें बहस प्रार्थीपक्ष द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र के कथनों को दोहराया। उपरोक्तानुसार बाद बहस पत्रावली एवं पत्रावली में सलंग्न तहसील रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेज यथा आधार कार्ड, राशन कार्ड की प्रति एवं तहसील रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि शांति बाई एवं संतोष देवी एक ही महिला के नाम है। उपरोक्तानुसार बाद अवलोकन तहसील रिपोर्ट प्रार्थना–पत्र को प्रथम दृष्ट्या ही स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। अतः राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136	

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
	के तहत् प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को स्वीकार कर तहसीलदार लाडपुरा को आदेशित किया जाता हैं कि ग्राम उम्मेदपुरा प0ह0 काल्याखेडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा में स्थित आराजी खाता संख्या 192 पुराना 160 की खसरा नं0 49 रकबा 2.32 है0 व खसरा नं0 50 रकबा 1.94 है0 कुल किता 2 रकबा 4.26 है0 एवं ग्राम उम्मेदपुरा त0ह0 काल्याखेडी तहसील लाडपुरा के खाता संख्या 160 पुराना 11 के खसरा नं0 84 रकबा 0.41 है0 खसरा नं0 201 रकबा 0.74 है0 खसरा नं0 225/474 रकबा 0.07 है0 खसरा नं0 230 रकबा 0.25 कुल किता 4 रकबा 1.47 है0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में शांती बाई पुत्री कालू के स्थान पर शांती बाई उर्फ संतोष देवी पुत्री कालू दर्ज किया जावे। उक्त निर्णय आज दिंनाक 20/5/26 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। गजेन्द्र सिंह उपखण्ड अधिकारी कोटा	